ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के प्रयास

–हेना नक़वी

भारत विविधताओं का देश है। मौसम, रंग–रूप, पहनावे, संस्कृति और धर्मों की इतनी विविधता विश्व में विरले ही देखने को मिलती है। इसीलिए भारत को 'पर्यटकों का स्वर्ग' कहा जाता है। पर्यटन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और राजस्व–अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र की असीम क्षमता के कारण बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। हाल के वर्षों में देश में ग्रामीण पर्यटन की ओर भी यथोचित ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण पर्यटन को ग्रामीण विकास की रणनीति के रूप में अपनाया गया है। भारत सरकार के कुछ नए कदम ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक फलक पर स्थापित करने का दमखम रखते हैं। प्रस्तुत आलेख में ऐसे ही कुछ नए कदमों को रेखांकित किया गया है।

वर्ष 2017 को 'विकास के लिए सतत् पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में मनाया गया। यानी अब पर्यटन को एक ऐसे टिकाऊ उद्यम के रूप में देखा जा रहा है जिसके साथ विकास भी होता रहे। भारत के लिए विकास की अवधारणा गांवों के विकास से जुड़ी है। गांव अगर विकसित होंगे तो देश अपने आप विकसित होगा। भारत सरकार अब ग्रामीण पर्यटन को विकास के एक माध्यम के रूप में देखती है। गांवों में देशी–विदेशी पर्यटकों के आगमन से न सिर्फ स्थानीय गृह उद्योग, हस्तकला और हस्तशिल्प का विकास होगा, बल्कि रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे और गांव सबल और आत्मनिर्भर आर्थिक इकाईयों के रूप में विकसित होंगे।

भारत जैसे परंपरावादी देश की महान परंपराओं में से एक है, 'अतिथि देवो भव'। यह केवल एक सूक्ति नहीं है बल्कि देश की सुसंस्कृति का परिचायक है जिसके तहत आज भी घर आए अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। यह आदर्श आज हमारे प्रगतिशील पर्यटन उद्योग का मूल सिद्धांत भी है जो देश–विदेश के पर्यटकों को उत्कृष्ट सेवाएं देने का लक्ष्य रखता है। पर्यटन उद्योग की गणना किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की जाती है क्योंकि राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होने के अतिरिक्त यह उद्योग किसी भी देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं उनके व्यापक प्रचार–प्रसार का माध्यम भी है। यही नहीं, यह क्षेत्र लोगों को लोगों से जोड़ता भी है।

चूंकि भारत गांवों का देश है, इसलिए भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़ा है। इस नाते भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पर्यटन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसाकि नाम से ही झलकता है, ग्रामीण पर्यटन उद्योग उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण जीवन–शैली, कला–संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अंचलों की धरोहर आदि से रुबरु होने का अवसर मिलता है। इन अवसरों को प्रदान करने अथवा उन तक पहुंचने में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को इस सेवा के बदले आय की प्राप्ति होती है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। पश्चिमी देशों में गांव तो हैं, लेकिन आधुनिकता के प्रवेश से वहां प्राचीन परंपराओं और सभ्यताओं यहां तक कि कुटुम्ब व्यवस्था क़ा भी लोप हो चुका

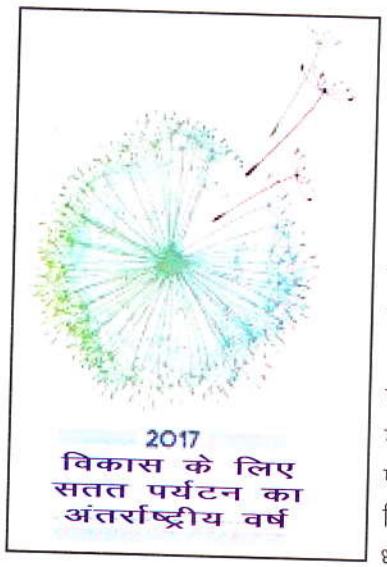

है। इसके विपरीत हमारे देश में गांव की सोंधी मिट्टी, खेत–खलिहान, कच्चे घर उन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो शहरों की चकाचौंध और आपाधापी से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं।

सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को प्राथमिकता में शामिल करने के कारण जहां एक ओर रोजगार को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण धरोहरों के संरक्षण पर भी यथोचित ध्यान जा रहा है। देश की विविधता के दृष्टिगत ग्रामीण पर्यटन के सुदृढ़ीकरण के लिए हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं। भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में पर्यटन मंत्रालय निरंतर इस क्षेत्र के विकास हेतु प्रयत्नशील है। मंत्रालय द्वारा विषय–मूलक 'टूरिस्ट सर्किट' के विकास की कवायद शुरु की गई है। इसके तहत मुख्यतः चार प्रकार के टूरिस्ट सर्किट–तीर्थस्थल एवं आध्यात्मिकता, धरोहर, संस्कृति एवं पारिस्थितिकी पर्यटन (इको टूरिज़्म) निर्धारित किए गए हैं। इसी क़वायद का अंग है, 'प्रसाद' (पिलग्रिमेज रिज्युवेनेशन एंड स्प्रिच्युएलिटी ड्राइव) नामक योजना। इस योजना के अंतर्गत देश के 25 स्थलों–अमरावती (आंध्र प्रदेश), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), अयोध्या (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ (उत्तराखंड), बेलूर (प. बंगाल), द्वारका (गुजरात), देवघर (झारखंड), गया (बिहार), गुरुयावूर (केरल), हज़रतबल (जम्मू एवं कश्मीर), कामख्या (असम), कांचीपुरम् (तमिलनाडु), कटरा (जम्मू एवं कश्मीर), केदारनाथ (उत्तराखण्ड), मथुरा (उत्तर प्रदेश), ओमकारेश्वर (मध्यप्रदेश), पटना (बिहार), पुरी (ओडीशा), सोमनाथ (गुजरात), श्रीसायलम (आंध्र प्रदेश), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), त्रिम्बकेश्वर (महाराष्ट्र), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) एवं वेलंकनी (तमिलनाडु) का चयन किया गया है। योजना के द्वारा इन चयनित महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य किया जाना है। योजना के तहत तीर्थस्थलों पर बुनियादी ढांचों के विकास से एक ओर जहां तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी, वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक पर्यटक इन स्थलों की ओर आकर्षित होंगे। मंत्रालय द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मिशन निदेशालय की स्थापना की गई है जो योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

ग्रामीण पर्यटन की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली एक और महत्वाकांक्षी योजना है, 'स्वदेश दर्शन'। यह योजना विषय–मूलक पर्यटन सर्किट (परिधियों) के समेकित विकास पर आधारित है। यह सर्किट हैं: दक्षिण–पूर्व भारत सर्किट, बुद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, मरुस्थल सर्किट, आदिवासी सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, वन्य जीवन सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट एवं धरोहर सर्किट। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से क्रमबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से 13 चयनित पर्यटन सर्किट

'आमार आलोही', आतिथ्य सत्कार पर आधारित नवाचार

ग्रामीण पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा 'आमार आलोही' (हमारा अतिथि) नामक ग्रामीण 'होम–स्टे' योजना की ओर कदम बढ़ाया गया है।

Awesome Assam
Department of Tourism

योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को घर में उपलब्ध समस्त आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रथम चरण (2017–18) में इस योजना के तहत कुल 200 ग्रामीण होम–स्टे स्थापित किए जाने की योजना है। पहले से इस तरह का रोजगार कर रहे परिवारों को इस योजना के तहत एक अधिकृत पर्यटन इकाई के रूप में पहचान दी जाएगी, साथ ही साथ कारोबार बेहतर बनाने के लिए आवश्यक पेशेवर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। आमार आलोही पर आधारित नया काम शुरु करने वाले परिवारों को योजना के तहत असमिया अंदाज़ के कॉटेज निर्माण के लिए 70 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी जबकि शेष 30 प्रतिशत का प्रबंध उद्यमियों द्वारा बैंकों अथवा अन्य स्रोतों से किया जाएगा। यह योजना पर्यटकों के लिए सुविधाजनक तो है ही, यह ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार का एक ऐसा अनूठा तरीका है जिसके माध्यम से वह अपनी कला–संस्कृति से जुड़े रहकर अपने अतिथियों की सेवा भी कर सकते हैं और अपनी जीविका भी अर्जित कर सकते हैं।

ऐसे ही प्रयास विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य संबंधित राज्यों की सांस्कृतिक धरोहरों एवं परंपराओं को संजोने के साथ–साथ रोजगार का सृजन करना भी है।

के विकास की योजना है। पर्यटकों की सुविधा के लिए इन चयनित स्थलों पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचों का विकास किया जाना है। योजना के तहत सरकार द्वारा अभी तक दो दर्जन से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। यह परियोजनाएं अपने–अपने ढंग से योजना को सहयोग प्रदान करेंगी। 'प्रसाद' योजना की ही तरह इस योजना का क्रियान्वयन भी मिशन मोड में किया जाएगा।

अक्तूबर, 2017 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं अन्य साझीदारों के सहयोग से राष्ट्रव्यापी 'पर्यटन पर्व' का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रचार–प्रसार करना था। पांच अक्तूबर 2017 से 25 अक्तूबर, 2017 तक चले इस अभियान के तीन प्रमुख घटक थे, 'देखो अपना देश','पर्यटन सभी के लिए' तथा 'पर्यटन एवं शासन–व्यवस्था'। इस अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों द्वारा देश की संस्कृति को उजागर करने के प्रयास किए गए। अभियान के अंतर्गत कपड़ा मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्थलों पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किए जाने से ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों को प्रश्रय मिला, साथ ही साथ उनके हुनर को भी व्यापक–स्तर पर पहचान मिली। इसी प्रकार ग्रामीण मंत्रालय के 'नेशनल रुर्बन मिशन' द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन पर आधारित विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की गई। यहां गुजरात के सूरत में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक का उल्लेख करना आवश्यक है जिसका लक्ष्य ग्रामीण गुजरात की सुंदरता को राष्ट्रीय फलक पर लाने के साथ–साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रश्रय देना भी था। पर्यटन पर्व जैसे राष्ट्रव्यापी आयोजन से ग्रामीण पर्यटन को प्रत्यक्ष तो नहीं किंतु अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग मिला और ग्रामीण पर्यटन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, 'इंक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे'। यह योजना विदेशी एवं भारतीय पर्यटकों को सुदूर अंचलों में भुगतान के आधार पर भारतीय परिवारों के साथ रहने एवं आवासीय सुविधाएं प्रदान करने पर आधारित है। दो श्रेणियों, 'सिल्वर' एवं 'गोल्ड' में पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देश के पांच क्षेत्रों–उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं केंद्र तथा उत्तर–पूर्व में कुल 313 इकाइयों की पहचान की गई है जिनका पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत अनुमोदन एवं पंजीकरण किया गया है। योजना के तहत ऐसी इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें संबंधित मालिक अथवा देखभालकर्ता अपने परिवार के साथ रहता हो तथा पर्यटकों के लिए न्यूनतम एक तथा अधिकतम छह कक्ष उपलब्ध हों। इसके तहत किसी प्रकार के वित्तीय अनुमोदन का प्रावधान नहीं है किन्तु योजना के कुशल संचालन हेतु मंत्रालय द्वारा पांच क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं, जो संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के

ई–टूरिस्ट वीज़ा से विदेशी पर्यटकों को आसानी

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत भ्रमण आसान करने के लिए 'ई–टूरिस्ट वीज़ा' या 'टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल' जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिससे देश में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ई–वीज़ा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, यानी इसमें किसी एजेंट या मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट https://indianvisaonline.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके माध्यम से अपनी विदेश यात्रा की योजना बनाते समय पर्यटक अपने घर बैठे ही वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीज़ा फीस भी ऑनलाइन ही जमा की जाती है और दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन दुरुस्त पाए जाने और पात्रता होने पर ऑनलाइन वीज़ा जारी कर दिया जाता है। ई–वीज़ा की सुविधा 164 देशों के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के बाद भारत आने पर एयरपोर्ट या निकास टर्मिनल पर पर्यटक को अपने पासपोर्ट पर आव्रजन डेस्क पर मुहर लगवानी पड़ती है।

ई–वीज़ा के लिए शर्तें

- वे सभी भ्रमणकर्ता आवेदन कर सकते हैं, जिनके भारत–भ्रमण का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, दृश्यावलोकन, दोस्तों या रिश्तेदारों से आकस्मिक मुलाकात, कम अवधि का चिकित्सा पर्यटन, या आकस्मिक व्यापारिक भ्रमण है।
- पर्यटक के भारत पहुंचने के समय उसका पासपोर्ट कम से कम छह माह की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। और उसमें कम से कम दो सादे पृष्ठ आव्रजन अधिकारी द्वारा मुहर लगाने के लिए होने चाहिए।
- राजनयिक या सरकारी पासपोर्टधारकों के लिए ई–वीज़ा की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- पाकिस्तानी पासपोर्टधारकों या पाकिस्तानी मूल के निवासियों के लिए ई–वीज़ा की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- सभी भ्रमणकर्ताओं के पास व्यक्तिगत पासपोर्ट होने चाहिए यानी एक ही पासपोर्ट पर बच्चे/पति पत्नी का नाम होने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।

सहयोग से योजना को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं।

देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों, टूर–ऑपरेटरों और इस उद्योग से जुड़ी संस्थाओं व एजेंसियों को पुरस्कार देने की योजना चलाई है। ''हॉल ऑफ फेम'' अवार्ड उन राज्य सरकारों/संस्थाओं को दिया जाता है, जो लगातार तीन वर्षों तक एक ही श्रेणी में पुरस्कार पाती रही हैं। समेकित पर्यटन विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए यह पुरस्कार इस बार गुजरात और मध्यप्रदेश की सरकारों को दिया गया है। सोशल मीडिया/एप के बेहतर इस्तेमाल के लिए केरल के पर्यटन विभाग को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा चार टूर ऑपरेटरों को भी यह पुरस्कार दिया गया। समेकित पर्यटन विकास के लिए इस बार आंध्र प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को द्वितीय और केरल तथा गोवा को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए राजनयिक प्रयासों से न केवल दूसरे देशों के लोगों में भारत के प्रति उत्सुकता जगी है, बल्कि उन देशों में भारतीयों का जाना भी आसान बना है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर, 2017 को आकाशवाणी पर ''मन की बात'' कार्यक्रम में लोगों से आग्रह किया कि वे विदेशों की कृत्रिम चकाचौंध से आकर्षित होकर विदेश भ्रमण करने के बजाय अपने देश के रमणीय स्थलों को देखें और अपने देश की विविधता को जानें। उन्होंने कहा कि उन्हें विदेश भ्रमण पर ऐतराज नहीं है, लेकिन लोगों को अपने देश को भी देखना और समझना चाहिए।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए बहुत कुछ है। अब चाहे वह राजस्थान के मरुस्थल की सुनहरी आभा हो, झारखण्ड के जंगल, लेह के पहाड़ी इलाक़े या फिर असम के कछार और पर्वतीय गांव; विविधताएं हर जगह भरी पड़ी हैं। राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन देशवासियों में पर्यटन के प्रति रुचि जगाने का मूलमंत्र है– ऐसी बेहतर परिवहन व्यवस्था और आधारभूत सुविधाएं, जो हर प्रकार के आय वर्ग के लोगों के अनुकूल हों। इसमें न केवल सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि इससे भी बड़ी भागीदारी निजी क्षेत्र के उद्यमों और पर्यटन के पेशे से जुड़े लोगों की है। साथ ही ज़रूरत है स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित माहौल उपलब्ध कराने की ताकि देशी–विदेशी पर्यटकों में भारत के गांवों की सकारात्मक छवि उभरे और वे अपने भ्रमण को लंबे समय तक याद रख सकें।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पर्यटन के उच्चस्तरीय मूल्यों का विकास हो, पर्यटक अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करें, इसके लिए विभिन्न भागीदारों के बीच स्वच्छ प्रतियोगिता विकसित की जाए और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों, तभी पर्यटन को हम एक टिकाऊ व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकेंगे।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के हालिया प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन के साथ–साथ विकास प्रक्रिया को भी गति मिलेगी, साथ ही साथ आय के एक नवीन स्रोत के सृजन से जीवन–स्तर बेहतर बनेगा। इसका एक अन्य लाभ यह होगा कि ग्रामीणों को रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा बल्कि वह अपने ही गांव में रहकर जीविकोपार्जन कर सकेंगे। अलग–थलग पड़े ग्रामवासी देश की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। इस प्रकार सरकार का यह प्रयास ग्रामीण विकास की दिशा में बेहतरीन प्रयास है।

एक प्रयास ऐसा भी!

उत्तराखण्ड में पहले से चल रही 'होम–स्टे' योजना को दीनदयाल उपाध्याय रोज़गार योजना के नाम से एक नया जामा पहनाया गया है। योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में होम–स्टे के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। योजना के बेहतर संचालन के लिए इसके तहत संचार कौशलों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इससे योजना के लाभार्थीगण (होम–स्टे संचालक) विभिन्न विदेश भाषाएं सीख सकेंगे और बेहतर ढंग से विदेशी पर्यटकों से जुड़ सकेंगे। दूसरी ओर, विदेशी पर्यटकों की भी भाषा संबंधी समस्या कुछ हद तक हल हो सकेगी और उनकी भारत यात्रा यादगार बन सकेगी।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : hena.naqvipti@gmail.com